

25/18

पत्रावली पेश हुई। दफ्तर परामर्श उप-  
रमिल पक्षी ने लंबवत बोध पेश किया  
कि पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दिनांक  
8.3.18 को पेश हो।

D.N. Nishch  
281-89  
12-18

2nd  
25.1.18

8.3.18 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा  
कन्डोलेंस/कार्य स्थगित करने  
के कारण कार्यवाही नहीं की जा  
सकी। पत्रावली दिनांक 13.4.18  
को पेश हो।


2nd  
8.3.18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा  
कन्डोलेंस/कार्य स्थगित करने  
के कारण कार्यवाही नहीं की जा  
सकी। पत्रावली दिनांक 18.05.18  
को पेश हो।


2nd  
13.4.18

27.4.18 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आसानी कार्यवाही  
हेतु न्याय दफ्तर के द्वारा कैम्प कोर्ट मनीरपुरा में दि. 18.5.18 को  
पेश हो।

18.05.18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत  
- थाप आपने डार कैम्प कोर्ट मनीरपुरा  
में पेश हुई। प्रार्थना एवं अप्रार्थना  
उपाक्षित जिनकी पहचान संरपंच ग्राम  
पंचायत मनीरपुरा ने की है। प्रार्थना का  
मूलवाद अंतिम डिक्री होने से निर्मित हो  
गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र  
को आगे चलाया जाना उचित नहीं  
समझते हैं अतः प्रार्थना का प्रार्थना पत्र  
अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया  
जाता है।



दि. - प्रन फुली केत  
R.T.I




प्रन फुली केत  
R.T.I

कार्यालय दिग्पथी

बी. ई. एन. 12

न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.08 को जारी  
स्वयंन आदेश प्रभाव शून्य होने से निरस्त  
किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम ही।


मदन लाल शर्मा



L.T.E. 12/18/08

मि. लाल

यह निर्णय आज दिनांक 18.05.2018  
को न्याय आपके डार डेम्य कोर्ट मनोहरपुरा  
में प्रजमे आम में सुनाया गया।



L.T.E. 3/18/18

Shd  
18.5.18

श. शुकुन्ताला

सरपंच  
शकुन्ताला देवी मीना  
धाम पंचायत मनोहरपुरा  
बंस बगली (जयपुर)